नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा (गौतमबुद्ध नगर)

पत्र संख्या:नौएडा/मु.का.अ./वि.नि./2019/3105
दिनांक:- 06 सितम्बर, 2019

कार्यालय-आदेश

प्राधिकरण एवं जनहित में बायर्स को फ्लैट्स उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से पुनर्निर्धारण (Re-schedulement) की यह सुविधा कार्यालय आदेश संख्या:नौएडा/वि0नि0/CFAO/2019/3008, दिनांक 08 जुलाई, 2019 के द्वारा पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या:नौएडा/वि0नि0/2019/2873, दिनांक 08 मार्च, 2019 में वर्णित शर्त बिन्दु (2)- (क), (ख), (ग) एवं (घ) में 2% की वृद्धि एवं अन्य नियम एवं शर्ते यथावत् लागू करते हुए आदेश निर्गमन की तिथि से 31 अगस्त, 2019 विस्तारित की गयी थी । क्रेडाई (Confederation of Real Estate Developers' Association of India) द्वारा अपने पत्र दिनांक 31.08.2019 में कुछ बिल्डर्स सीमित अवधि होने के कारण इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाये हैं क्योंकि कुछ बिल्डर्स, पुनर्निर्धारण नीति के अन्तर्गत जमा होने वाली धनराशि की व्यवस्था अचल सम्पत्ति बाजार की खराब दशा के कारण नहीं कर पायें हैं, के दृष्टिगत पुनर्निर्धारण की उक्त नीति की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया ।

फ्लैट्स बायर्स को उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि पुनर्निर्धारण (Re-schedulement) की सुविधा को बढ़ाया जाय । सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या:नौएडा/वि0नि0/CFAO/2019/3008, दिनांक 08 जुलाई, 2019 के द्वारा पुनर्निर्धारण (Re-schedulement) की सुविधा जो 31 अगस्त, 2019 तक अनुमन्य करायी गयी थी, को यथावत् 30 नवम्बर, 2019 तक के लिए विस्तरित की जाती है ।

उक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किए जा रहे हैं ।

(सुधीर सिंह)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ।
3. मुख्य वास्तुविद् नियोजक ।
4. विशेष कार्याधिकारी (ग्रुप हाऊसिंग)/ (आ0भू0)/ (संस्थागत) / (वाणिज्यिक) / (औद्योगिक)।
5. समस्त लेखाधिकारी, परिसम्पत्ति अनुभाग ।

वित्त नियंत्रक